कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या- 03/2017-18

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर के अधीनस्थ मुजफ्फरनगर भंडार स्थित एवं जेल चुर्गी, मेरठ में स्थित भंडार में उपलब्ध एम0एस0स्क्रैप की सार्वजनिक नीलामी तालिका में दी गयी तिथि व स्थान पर की जायेगी।

बोली दाताओं को निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा। सार्वजनिक नीलामी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 नियम 260 ए के परिशिष्ठ 19 डी में उल्लेखित नियम व शर्तो के अधीन होंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म नीलामी की नियत तिथि को प्रातः 10:00 बजे से 01:00 बजे तक निर्धारित धरोहर धनराशि,बैक ड्राफ्ट जो कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर को देय हो, के रूप में जमा करनी होगी, जिसकी जांच उपरान्त बोली दाताओं की सूची निर्गत की जायेगी। उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। नियमानुसार नियत तिथि को सूची में अंकित व्यक्ति/फर्म को ही बोली बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। नीलामी हेतु एम0एस0स्क्रैप का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस मे भण्डार नलकूप निर्माण खण्ड मुजफ्फरनगर/जेल चुर्गी भण्डार मेरठ मे किया जा सकता है। नीलामी जो है, जैसा है के आधार पर होगी। नीलामी में कोई भी एक बोली अथवा समस्त बोली बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार नीलामी कर्ता समिति अध्यक्ष के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। नीलामी की तिथि को आकस्मिक सार्वजनिक अवकाश घोषित होने की स्थिति मे नीलामी अगले कार्य दिवस को की जायेगी।

नीलामी के बाद प्राप्त किसी प्रकार की दरों पर विचार नही किया जायेगा। अधिकतम बोलीदाता को कुल धनराशि का 25 प्रतिशत धरोहर के रूप में अगले बैंक कार्य दिवस की सांय 5:00 बजे तक बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यालय नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर के कैशियर के पास में जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उसकी टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने के उपरान्त 10 दिवस के अन्दर शेष धनराशि व देय जी0एस0टी0 व अन्य देयकर नियमानुसार जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में पूर्व में जमा की गयी 25 प्रतिशत की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

नीलामी स्वीकृति की सूचना दिये गये पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी। अधिकतम बोलीदाता एवं द्वितीय अधिकतम बोलीदाता को छोडकर अतिरिक्त शेष सभी व्यक्तियों/फर्मो की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की धरोहर धनराशि प्रथम बोलीदाता द्वारा शेष 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त वापिस कर दी जायेगी। अन्य नियम एवं शर्ते अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को अवलोकित की जा सकती है। यह माना जायेगा कि बोलीदाता संबंधित नियम/शर्तो की पूरी जानकारी रखता है।

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	इकाई	अनुमानित मात्रा	धरोहर धनराशि	नीलामी की तिथि	नीलामी का स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	एम0एस0स्क्रैप	मैट्रिक टन	जेल चुर्गी मेरठ - 28 मेरठ रोड, मु0नगर- 18 योग - 46	20000.00	24.10.2017	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड मुजफ्फरनगर